14/1/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप. / वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। [illegible] से [illegible] हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2018/00132

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 185/2018 GCMS:-2018/00132 दायर दिनांक : 18.10.2018

1. सोहनलाल } पुत्रगण सुरजाराम अकवाम कुम्हार
2. कृष्णलाल } निवासीयान हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण.
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ न्यायालय

निर्णय

दिनांक : 14.01.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण के पिता सुरजाराम पुत्र सुखराम के नाम से वाके चक 2 जी.बी.एम. की जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 62 के पत्थर नं. 35/52 के किला नं. 1 से 5, 9 से 11, 20, 21 = 2.505 है0, पत्थर नं. 35/44 के किला नं. 14 से 17, 24, 25 = 1.467 है0, पत्थर नं. 35/53 के किला नं. 10, 11 = 0.506 है0 व पत्थर नं. 35/45 के किला नं. 4 से 8 = 1.176 है0, कुल 5.655 है0 कमाण्ड—अनकमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि वादीगण व वादीगण के भाई रजीराम व मुखराम के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हुई जिसकी जमाबन्दी तैयार करते समय चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 35/52 के किला नं. 11, 20, 21 के स्थान पर किला नं. 7, 8 दर्ज किया गया, जो वादीगण के पिता को ना तो आवंटन हुआ है व ना ही भूमि कब्जे हुआ था। यह रकबा मनफूल पुत्र किशोराराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा के नाम खातेदारी व ओ.बी.सी. बैंक शाखा बीरमाना के पक्ष में मुर्तहीन दर्ज है। इस प्रकार एक ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 18:42:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पत्थर का समान किलाजात का यह रकबा काश्तकारों के दो अलग–अलग खातों में जोड़ दिया गया, जो एक कानूनी भूल है। वादीगण व वादीगण के भाइयों के मध्य खाता विभाजन हो चुका है, जिसके अनुसार वादी सं. 1 को पत्थर नं. 35/52 के किला नं. 7 व 8 एवं वादी सं. 2 को पत्थर नं. 35/52 का किला नं. 6 का रकबा दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। यह रकबा मनफूल पुत्र किशोराराम के नाम खातेदारी अंकित है। वादीगण ने चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 35/52 के किला नं. 11, 20 का वादी सं. 1 सोहनलाल को व किला नं. 21 का वादी सं. 2 कृष्णलाल को खातेदार कृषक घोषित किये जाने व पूर्व अंकित पत्थर नं. 35/52 के किला नं. 6, 7, 8 वादीगण के नाम से कलमजन किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने जवाब स्टेट प्रस्तुत कर राज्य के हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया। बाद आने जवाब सरकार की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर तनकीयात कायम न कर सीधे साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादी सोहनलाल ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये व वाद का समर्थन करते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 की ओर ध्यान दिलाया जिसमें मूल खातेदार के नाम चक 2 जी.बी.एम. के पत्थर नं. 35/52 में किला नं. 1 से 5, 9, 10, 11, 20, 21 की 2.505 है0 कमाण्ड भूमि सुरजाराम पुत्र सुखराम के नाम अंकित है। बाद की जमाबन्दी में पत्थर नं. 35/52 में किला नं. 6, 7, 8 अतिरिक्त जोड़े गये हैं व किला नं. 11, 20, 21 कलमजन कर दिये गये, जो कल[illegible] है। वादीगण को विभाजन में इसी नवीन जमाबन्दी के आधार [illegible] विभाजन कर वादी सं. 1 को किला नं. 7 व 8 एवं वादी सं. 2 को किला नं. 6 [illegible] गया, जो कि अन्य को आवंटन होने से वादीगण के नाम अंकन ही नहीं हुआ। इससे कुल खाते की भूमि भी बाद विभाजन अंकन करते समय कम दर्ज हुई है। पत्थर नं. 35/52 के किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नं. 6, 7, 8 मनफूल वल्द किशोराराम के नाम अंकन की जमाबन्दी का अवलोकन करवाया। इसकी पुष्टि भी पटवारी हल्का द्वारा की गई है। वाद वादी साक्ष्य से पूर्ण रूप से पुष्ट होना बताते हुए वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की। साथ ही निवेदन किया कि जमाबन्दी में पत्थर नं. 35/52 के किला नं. 11, 20, 21 अंकित नहीं हैं जो कि जमाबन्दी में अंकन करने योग्य हैं, क्योंकि नक्शा अनुसार यह भूमि चक 2 जी.बी.एम. में ही है।

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा राज्य हित को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी निर्णय करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहन पठन व मनन करने पर पाया कि चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 62 के खाता सं. 67/55 के पत्थर नं. 35/52 (62) के किला नं. 1 से 5, 9 से 11, 20, 21 = 2.505 है0 कमाण्ड, पत्थर नं. 35/44 (61) के किला नं. 14 से 17, 24, 25 = 1.468 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, पत्थर नं. 35/53 (69) के किला नं. 10, 11 = 0.506 है0 कमाण्ड व पत्थर नं. 35/45 (70) के किला नं. 4 से 8 = 1.176 है0 कमाण्ड, कुल 5.655 है0 (4.693 है0 कमाण्ड व 0.962 है0 अनकमाण्ड) भूमि मूल अंकित काश्तकार सुरजाराम वल्द मुखराम कौम कुम्हार सा. हरिसिंहपुरा खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें विवादित पत्थर नं. 35/52 (62) के किला नं. 1 से 5, 9 से 11, 20, 21 = 2.505 है0 कमाण्ड, जो सुरजाराम के नाम अंकित है, वारिसों के नाम नयी जमाबन्दी में सुरजाराम की मृत्यु उपरान्त चक 2 जी.बी.एम. जमान्बन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के खाता सं. 60/67 में पत्थर नं. 35/52 (62) के किला नं. 1 से 9/2.277 है0, 10/0.228 है0 = 2.505 है0 कमाण्ड दर्ज है, जबकि पूर्व जमाबन्दी में किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 9 से 11/0.759 है0, 20/0.253 है0, 21/0.228 है0 = 2.505 है0 कमाण्ड अंकित है। इससे स्पष्ट है कि नयी जमाबन्दी में पत्थर नं. 35/52 (62) में किला नं. 6, 7, 8 मनमर्जी से जोड़े गये हैं व किला नं. 11, 20, 21 हटा दिये गये हैं, जो कि दुरूस्ती योग्य है। बाद में यह खाता विभाजित होकर पत्थर नं. 35/52 (62) का किला नं. 7, 8 वादी सं. 1 सोहनलाल को व किला नं. 6 वादी सं. 2

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कृष्णलाल को प्राप्त हुआ, जो कि पूर्व में ही अन्य काश्तकार के नाम अंकित है। वाद वादी पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य बनता है। चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 35/52 (62) का किला नं. 6, 7, 8 पूर्व में मनफूल पुत्र किशोराराम के नाम दर्ज है व वादीगण के कब्जा काश्त में भी नहीं है, और वर्तमान में वादीगण के नाम अंकित भी नहीं है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 2 जी.बी. एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 35/52 (62) के किला नं. 11/0.253 है0, 20/0.253 है0 = 0.506 है0 कमाण्ड भूमि का वादी सं. 1 सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ को व किला नं. 21 = 0.228 है0 कमाण्ड भूमि का वादी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को वादीगण के नाम खातों में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. सोहनलाल
2. कृष्णलाल

} पुत्रगण सुरजाराम अकवाम कुम्हार निवासीयान हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 185 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 2 जी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 35/52 (62) के किला नं. 11/0.253 है0, 20/0.253 है0 = 0.506 है0 कमाण्ड भूमि का वादी सं. 1 सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ को व किला नं. 21 = 0.228 है0 कमाण्ड भूमि का वादी सं. 2 कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी हरिसिंहपुरा तहसील सूरतगढ़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को वादीगण के नाम खातों में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14.01.26. को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)